संख्या: 1014/मा०सं०वि०/2001
2/63/2001

प्रेषक,

डा०दिलबाग सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नईदिल्ली

मानव संसाधन विकास विभाग

देहरादून दिनांक 9-4- मार्च,2001

विषय: दि मास्टर्स स्कूल, पनियाली, हल्दवानी, नैनीताल को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दि मास्टर्स स्कूल, पनियाली, हल्दवानी, नैनीताल को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मे इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधो के अधीन आपत्ति नही है :-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3- विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चो के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा ।
4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेगे ।
5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे ।
6- कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उ०मा० विद्यालयो के कर्मचारियो के अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

क्रमश: पृष्ठ-2

Principal,
The Masters School
Paniyal Haldwani.

Manager,
The Masters School
Paniyali, Haldwani.

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं मे रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तो मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन या परिवर्धन नही किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने मे किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण। पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(डा0दिलबाग सिंह)
अपर सचिव

संख्या: 1014(1)/मा0स0वि0/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तरांचल देहरादून
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल
4- आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ
5- प्रबन्धक, दि मास्टर्स स्कूल, पनियाली, हल्दवानी, नैनीताल

आज्ञा से,

(डा0दिलबाग सिंह)
अपर सचिव

Principal,
The Masters School
Paniyali, Haldwani.

Manager,
The Masters School
Paniyali, Haldwani.